

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने की 385 ई–वाहनों की रिकॉर्ड डिलीवरी

भोपाल/हैदराबाद। देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने इस दौरान 663.60 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह रही कि ओलेक्ट्रा ने एक ही तिमाही में रिकॉर्ड 385 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी की, जो साल-दर-साल 37व्व की बढ़ोतरी दर्शाती है।

कंपनी का एबिटा बढ़कर 97.10 करोड़ रहा, जबकि कर पश्चात लाभ 46.68 करोड़ दर्ज किया गया। अब तक ओलेक्ट्रा कुल 3,639 इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर कर चुकी है और इसके पास 9,439 वाहनों की मजबूत ऑर्डर बुक है। प्रबंध निदेशक महेश बाबू ने कहा कि ब्लेड बैटरी तकनीक के प्रमाणन और नई बसों के आगामी उत्पादन से कंपनी की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन में ओलेक्ट्रा अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी।

केंद्र के समान 25 लाख रु. ग्रेच्युटी देने की मांग

भोपाल। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु लिए गए निर्णयानुसार 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% होने के फलस्वरूप केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% वृद्धि कर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है । पेंशनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेशदत्त जोशी व प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने अपने पत्र मे कहा कि मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को भी 1 जनवरी 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किए हैं एवं इसके अंतर्गत प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 50व्व महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा भी 12 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख की गई है। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 24 से सेवानिवृत्ति पर 20 लाख के स्थान पर 25 लाख ग्रेच्युटी भुगतान करने किया जाए ।

पटियाला की नाभा जेल से बाहर आए बिक्रम सिंह मजीठिया

सात महीने बाद मिली रिहाई, सैकड़ों की तादाद में जुटे समर्थक

पटियाला (एजेंसी)। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया मंगलवार को यहा नई नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही उन्हें आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जमानत दी थी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले साल 25 जून को मजीठिया को उनके अमृतसर वाले घर से आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के ड्रप्स के पैसे की मनी



लॉन्ड्रिंग शामिल थी। बिक्रम सिंह मजीठिया के समर्थक उन्हें लेने के लिए जेल के बाहर जमा हुए और समर्थन में नारे लगाए। समर्थकों ने उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। अकाली नेता की पत्नी, गनीव कौर मजीठिया भी मौजूद थीं और उन्होंने भगवान और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। गनीव कौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह सच्चाई की जीत है। सरकार भूल गई थी कि ऊपर भगवान भी है। जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मजीठिया के समर्थकों को मिठाई के डिब्बे लाते हुए देखा गया। अमृतसर में उनके घर के बाहर,मजीठिया के समर्थक जमा हुए, मिठाइयां बांटीं।

भारत लेकर आ रहा है ब्रह्मोस का भी ‘बाप’

हाइपरसोनिक ताकत से थर-थर कांपेगा पाकिस्तान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की मिसाइल क्षमता अब एक नए युग में प्रवेश करने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे पाकिस्तान अब तक कांप रहा है, अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज



एक नई मिसाइल भारत विकसित कर रहा है। इसकी जानकारी खुद डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के चेयरमैन डॉ समीर वो कामत ने

डॉलर के मुकाबले रुपया 130 पैसे मजबूत,90.20 पर आया

यह 3 साल में सबसे बड़ी बढ़त,2025 में सबसे कमजोर एशियाई करेंसी हो गया था

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ 90.20 के स्तर पर पहुंच गया। यह तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इससे पहले 2025 में रुपया करीब 5 फीसदी तक टूटकर एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया था। जनवरी 2026 में ही इसमें 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की



लागतार निकासी ने रुपए पर दबाव बना रखा था। हालांकि,मंगलवार को रुपए ने वापसी करते हुए 91.49 के मुकाबले 130 पैसे की मजबूती दर्ज की है।

बंगाल में कोयला तस्करी मामले में ईडी का ऐक्शन

कोलकाता व दुर्गापुर समेत 9 ठिकानों पर मारा छापा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह यानी 3 फरवरी 2026 को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान सहित कुल नौ स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य कोयला तस्करी से अर्जित काले धन के लेन-देन के तरीकों का पता लगाना है। जांच एजेंसी को शक है कि तस्करी की इस बड़ी रकम को हवाला के जरिए ठिकाने लगाया गया है। ईडी इसी वित्तीय ट्रेल को ट्रैक करने के लिए डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों को खंगाल रही है। कोलकाता के साथ-साथ दुर्गापुर में भी ईडी ने मंगलवार सुबह करीब 6 बजे से सैफको टाउनशिप में बालू कारोबारी के आवास पर छापेमारी की जा रही है। सिटी सेंटर क्षेत्र के आंबेडकर सरणी स्थित एक सदिग्ध घर की तलाशी ली जा रही है। पांडवेश्वर और कांकसा में एनएच-19 (नेशनल हाइवे) के पास स्थित ठिकानों पर भी अधिकारियों ने छापेमारी की है। जांच में यह बात सामने आई है कि ये कारोबारी अजय और दामोदर नदी से बालू निकालने के कार्य से जुड़े हैं।



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि वह इस अदालत की वैधता को नहीं मानता और इसकी किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि जब सिंधु जल संधि को ही भारत ने स्थागत कर रखा है, तो उस संधि के तहत बनी किसी संस्था को जवाब देने की बाध्यता नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फरवरी 2-3 को नीदरलैंड्स के पीस पैलेस में सुनवाई तय की है। साथ ही भारत के बगलिहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से जुड़े ‘पोडेज लॉगबुक’ दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। भारत ने इन आदेशों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 24 जनवरी 2026 के आदेश में कहा कि अगर भारत मौजूद नहीं रहता, तो पाकिस्तान अकेले ही सुनवाई में दलीलें देगा। इसके बाद 29

जनवरी को कोर्ट ने भारत से बगलिहार और किशनगंगा प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशनल रिकॉर्ड मांगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो वह मान सकता है कि ये कागजात

जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं और इससे उनके खिलाफ फैसला जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि भारत ने संधि को रोकने का जो फैसला लिया है, उससे

अमेरिका ट्रेड डील में भारत के हितों से समझौता नहीं

पीयूष गोयल बोले-ट्रम्प को धन्यवाद,उन्होंने मोदी से मित्रता का सम्मान किया; राहुल की सोच निगेटिव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को अमेरिका से ट्रेड डील पर मीडिया को ब्रीफ किया। गोयल ने कहा कि इस डील से किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया है। दोनों देश इस डील पर जल्द ही इस पर साझा बयान जारी करेंगे। यह एक ऐसी डील है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेवरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है, उनके हितों की रक्षा की। जो लोग अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर ऐसे सेक्टर जिनमें ज्यादा मेहनत लगती है और जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। सभी इससे उत्साहित हैं। गोयल ने कहा कि ये डील करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का धन्यवाद, उन्होंने पीएम मोदी की मित्रता का सम्मान किया। पीयूष गोयल ने कहा- इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2027 की जनगणना में जाति गणना सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इसे किसी भरोसेमंद तरीके से या सबूत के आधार पर करने पर विचार करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आकाश गोयल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल बिना जांच वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की शामिल या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि वे जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे सत्यापित सामग्री के आधार पर किया जाना जरूरी है। यह डेटा कई सालों तक योजनाओं, आरक्षण और नीतियों का आधार बनेगा, इसलिए यह सिर्फ आत्म-घोषणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। जनगणना एक विशेष और तकनीकी प्रक्रिया है। यह तय करना जनगणना अधिकारियों और विशेषज्ञों का काम है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता की चिंताओं को प्रतिनिधित्व के रूप में रखा जा सकता है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2027 की जनगणना में जाति गणना सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इसे किसी भरोसेमंद तरीके से या सबूत के आधार पर करने पर विचार करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आकाश गोयल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल बिना जांच वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की शामिल या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि वे जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे सत्यापित सामग्री के आधार पर किया जाना जरूरी है। यह डेटा कई सालों तक योजनाओं, आरक्षण और नीतियों का आधार बनेगा, इसलिए यह सिर्फ आत्म-घोषणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। जनगणना एक विशेष और तकनीकी प्रक्रिया है। यह तय करना जनगणना अधिकारियों और विशेषज्ञों का काम है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता की चिंताओं को प्रतिनिधित्व के रूप में रखा जा सकता है।

ट्रेड डील के ऐलान के बाद आई तेजी

रुपए में आई इस तेजी के पीछे भारत और अमेरिका के बीच हुआ ‘गिव एंड टेक’ समझौता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बदले अमेरिका व वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसके अलावा, भारत ने अगले कुछ वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर (करीब 45 लाख करोड़ रुपए) की एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इस ऐलान ने उस अनिश्चितता को खत्म कर दिया है जो पिछले साल अगस्त में अमेरिका के टैरिफ के बाद से बनी हुई थी। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि रुपए में यह तेजी अभी और जारी रह सकती है। मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार, निर्यात बढ़ने की उम्मीद से रुपए की मांग में और इजाफा होगा। शॉर्ट टर्म में रुपया 89.50 से 89.00 के स्तर पर जा सकता है। कोटक सिक्वोरिटीज के करेंसी रिसर्च हेड अनिंद बनर्जी का कहना है कि टैरिफ में कटौती से रुपए के लिए मजबूती के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक किस स्तर पर हस्तक्षेप करता है। करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं।

जाति की गणना केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं होनी चाहिए

एससी बोला- सत्यापन जरूरी, केंद्र और अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2027 की जनगणना में जाति गणना सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इसे किसी भरोसेमंद तरीके से या सबूत के आधार पर करने पर विचार करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आकाश गोयल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल बिना जांच वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की शामिल या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि वे जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे सत्यापित सामग्री के आधार पर किया जाना जरूरी है। यह डेटा कई सालों तक योजनाओं, आरक्षण और नीतियों का आधार बनेगा, इसलिए यह सिर्फ आत्म-घोषणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। जनगणना एक विशेष और तकनीकी प्रक्रिया है। यह तय करना जनगणना अधिकारियों और विशेषज्ञों का काम है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता की चिंताओं को प्रतिनिधित्व के रूप में रखा जा सकता है।



तकनीकी विवाद होता है, तो उसे सुलझाने के लिए न्यूट्रल (निष्पक्ष) एक्सपर्ट की व्यवस्था की गई है। यह प्राधान्य सिंधु जल संधि में पहले से तय है।

अगस्ता वेस्टलैंड सेना के लिए फिर हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगी

भारतीय अफसरों को 360 करोड़ रिश्तव देने का आरोप था

नई दिल्ली (एजेंसी)। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड क्लीन चिट मिलने के पांच साल बाद फिर भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। यह वही कंपनी है, जिसका नाम बहुचर्चित हेलीकॉप्टर कांड से जुड़ा था। इसने करीब एक दशक तक भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था। अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के साथ अड़ाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अड़ाणी ग्रुप के अनुसार इसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। लियोनार्डो कभी फिनमैकेनिका के नाम से जानी जाती थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3,600 करोड़ का घोटाला है।

94 लाख गरीबों के लिए नीतिश सरकार ने खोला खजाना

बिहार में पेश हुआ 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख का बजट

पटना (एजेंसी)। बिहार में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख रुपए का है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया। इस बार बजट का कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 3.17 लाख करोड़ के मुकाबले करीब 30 हजार करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को सात निश्चय-3 के जरिए से विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। सरकार का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास पर है, जिसके तहत प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने बिहार के भविष्य का रोडमैप साझा करते हुए पांच मूल तत्वों की घोषणा की। उन्होंने कहा, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के स्तंभों पर चलकर ही बिहार प्रगति करेगा।



न्यूट्रल एक्सपर्ट कोई अदालत नहीं होता। वह एक स्वतंत्र और तटस्थ तकनीकी विशेषज्ञ होता है, जो पानी से जुड़े तकनीकी सवालों पर राय देता है। भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया था। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47 जमीन पाकिस्तान, 39 जमीन भारत, 8 जमीन चीन और 6 फीसदी जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच झगड़ा शुरू हो गया था।

हेलीकॉप्टर में खराबी बाल-बाल बर्ची पंकजा मुंडे

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी लातूर

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री और भाजपा नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है। उड़ान से पहले ही हेलीकॉप्टर में खराबी का पता चलने से एक बड़ा हादसा टल गया है। पंकजा मुंडे मंगलवार को जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए लातूर जा रही थीं। जानकारी सामने आई कि संभाजीनगर से लातूर के लिए पंकजा हेलीकॉप्टर से जाने वाली थीं। छत्रपति संभाजीनगर से लातूर के लिए उड़ान भरने से पहले ही पायलट को यह खराबी दिखी। इसके बाद उन्हें जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए संभाजीनगर से लातूर तक की अपनी तय हेलीकॉप्टर यात्रा कैसिल करनी पड़ी। इस अचानक खराबी के कारण पंकजा मुंडे की लातूर में होने वाली सभाओं का समय भी बदल दिया गया है। हालांकि, इस हेलीकॉप्टर के साथ असल में क्या हुआ है, इस बारे में अभी कोई

नंबर 49, दौलताबाद जिला परिषद ग्रुप के मतदाता से पब्लिक मीटिंग में बातचीत की। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में उनका निधन हो गया। अन्य 4 लोग भी विमान दुर्घटना में मारे गए थे।

नंबर 49, दौलताबाद जिला परिषद ग्रुप के मतदाता से पब्लिक मीटिंग में बातचीत की। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में उनका निधन हो गया। अन्य 4 लोग भी विमान दुर्घटना में मारे गए थे।

यूजीसी के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना का मशाल जुलूस

8 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालेंगे कार्यकर्ता, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन

भोपाल (नप्र)। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के खिलाफ क्षत्रिय करणी सेना भोपाल में मशाल जुलूस निकालेगी। यह जुलूस 8 फरवरी की शाम 6 बजे भारत माता चौराहा से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और भोपाल जिला अध्यक्ष आशु सिंह ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश महिला अध्यक्ष बबोता सिंह चौहान करेंगी। जुलूस में हजारों करणी सैनिकों के शामिल होने की संभावना है।

सवर्ण समाज के लोग भी शामिल होंगे

इसके साथ ही सवर्ण समाज के नागरिक भी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। आशु सिंह के अनुसार यूजीसी से जुड़े हालिया निर्णयों को लेकर समाज में असंतोष है। इसी के विरोध में यह मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी।

किसान निर्धारित समय पर करायें पंजीयन : खाद्य मंत्री राजपूत

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक

भोपाल (नप्र)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपये अधिक है।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन क्रियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर क्रियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, मेक इन इंडिया को देगी नई गति : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। भारत-अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील अभिनन्दनीय है। यह ट्रेड डील, मेक इन इंडिया को नई गति देगी। इससे देश को प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह डील भारत के सशक्त नेतृत्व और विकास में साझा विश्वास को दर्शाता है।

19 साल बाद 6 ग्रहों के विशेष योग में महाशिवरात्रि

भक्तों के लिए यह विशेष फलदायी, महाकाल मंदिर में तैयारियां शुरू

उज्जैन (नप्र)। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के संधिकाल में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया



जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा। ऐसे में त्रिकोण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिसे विशेष फलदायी माना जाता है। पूरे साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ज्योतिष पंडित अमर डिव्वावाला के अनुसार, इस बार ग्रहों का दुर्लभ पुनरावृत्ति योग बन रहा है। इससे पहले ऐसा संयोग 2007 में बना था। करीब 19 साल बाद एक बार फिर इन्हीं ग्रहों की स्थिति में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा।

महाकाल मंदिर में तैयारियां शुरू

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 6 फरवरी से शिवरात्रि पर्व के तहत मंदिर के मुख्य शिखर की धुलाई, मंदिर परिसर की रंग-रोगन, कोटितीर्थ कुंड की सफाई और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया है। मंदिर प्रांगण में स्थित 40 मंदिरों की पुताई का काम अंतिम चरण में है। इस संबंध में मंगलवार शाम कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और संप्रति सदस्यों के साथ बैठक कर दर्शन व्यवस्था को अंतिम रूप देगे।

चार प्रहर की पूजा से मिलती है सिद्धि और सफलता

शिव महापराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा प्रदोष काल से लेकर निशित्य काल (मध्य रात्रि) और ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। इस दौरान श्रद्धालु अपने संकल्प के अनुसार सपरिवार या साधक विशेष पूजा-अनुष्ठान कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में यूजीसी को लेकर आदेश जारी

लोकपाल के आदेश सिर्फ सलाह नहीं, कॉलेजों को करना होगा पालन

झूठी शिकायत पर शिकायकर्ता पर भी हो सकती है कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 को अब सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में लोकपाल की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं होगी।

लोकपाल के आदेश मानना संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा और यदि कोई शिकायत झूठी या बेबुनियाद पाई गई तो उस पर शिकायत करने वाले छात्र के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दायरे में आने वाले संस्थानों पर लागू होगा। इसका मकसद छात्रों की शिकायतों का समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है।

झूठी शिकायत पर भी कार्रवाई संभव- सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो लोकपाल शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे यूजीसी के छात्र शिकायत निवारण नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लोकपाल अनिवार्य- यूजीसी के नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति जरूरी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अधिकतर संस्थानों में लोकपाल तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अब स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि छात्र अपनी शिकायत को लेकर भटकें नहीं।

भोपाल चैंबर चुनाव में गोविंद गोयल जीते

अध्यक्ष पद के दावेदार तेजकुल पाल सिंह को 191 वोट से हराया

भोपाल (नप्र)। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद के चुनाव में गोविंद गोयल जीत गए हैं। कुल 1999 वोटों में से गोयल को 1085 और तेलकुल पाल सिंह पाली को 894 वोट मिले हैं। इस तरह गोयल 193 वोट से



जीत गए हैं। 13 वोट रिजेक्ट हुए हैं। कुल 40 राउंड की गिनती होने के बाद गोयल को विजयी घोषित कर दिया गया है।

सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होना थी, लेकिन तीन घंटे बाद ही थाने से पेटियां निकल पाईं। उम्मीदवारों की मौजूदगी में पेटियां श्यामला हिल्स थाने में जमा करवाई गई थीं। चूँकि, देर शाम तक वोटिंग चली और फिर वोटिंग प्रतिशत से जीत-हार का अंतर निकालने के चलते उम्मीदवार सुबह समय पर मानस भवन नहीं पहुंच सके। इस कारण काउंटिंग में देरी हुई।काउंटिंग के समय गोविंद गोयल का परिवार उनकी रथ, धर्म पत्नी की तस्वीर लेकर पहुंचा था।

दोपहर 12 बजे तक मतों के बंडल

मैदान में उतरने से चुनाव और भी दिलचस्प हो गया था। रविवार को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 2 हजार व्यापारियों ने वोट डाले। इनमें टैंडर और पोस्टल बैलेट भी शामिल हैं।

अध्यक्ष पद के लिए गोयल और पाली के बीच सीधा मुकाबला रहा। दोनों ही इस पद के दावेदार हैं। करीब 170 सदस्यों की टीम ने मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई। पर्यवेक्षक डॉ. पीसी कोठारी और सीएम वैभव जैन ने बताया कि पॉलीटेक्निक कॉलेज चौराहा स्थित मानस भवन में मतगणना की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्यामला हिल्स थाने से मतपेटियां लाने के बाद वोटों की गिनती की जा रही है।

‘चंबल’ में नोटरी से शादी..फिर दुल्हन की किडनैपिंग का खेल

गलतफ़ेड और सहेलियों से कराई शादी, रुपए के बदले कुंवारीं से गैंग करती थी सौदा

ग्वालियर(नप्र)। डकैतों के लिए कुख्यात चंबल अब लुटेरी दुल्हनों के लिए चर्चित हो रहा है। पिछले कुछ समय से यहां नोटरी पर शादियां कराई जा रही हैं। इसके बाद गैंग के सदस्य दुल्हन का अपहरण कर लेते हैं। कुछ मामलों में दुल्हन खुद भी फरार हो जाती है।

21 जनवरी को ऐसा ही एक मामला सामने आया। ग्वालियर का एक कारोबारी परिवार बेटे की शादी कर दुल्हन को घर ले जा रहा था। तभी दाल बाजार में कार रुकवाकर कुछ युवकों ने हंगामा किया और कुछ ही देर में दुल्हन का अपहरण कर फरार हो गए।

मामले की जांच शुरू हुई तो पूरे रैकेट को परते खुलती चली गई। ग्वालियर में सात सदस्यीय गैंग इस तरह कुंवारीं को जाल में फंसाकर रुपये और गहने ऐंट रहा था। इस गैंग ने एक ठेकेदार के मानसिक दिव्यांग बेटे की शादी के लिए सुंदर दुल्हन का दो लाख रुपए में इंतजाम कराया था।

नोटरी पर शादी के बाद जब परिवार दुल्हन को लेकर घर जा रहा था, तभी बाइक और एक्टिव सवार युवक दुल्हन के रिश्तेदार बनकर आए और उसे जबरन ले



भागे। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।

पुलिस ने खुलासा किया कि सात

सदस्यीय गैंग ने इसी तरह की वारदातें ग्वालियर से पहले श्योपुर के विजयपुर और

पन्ना जिले में भी की हैं। दुल्हन के लिए गैंग

मंत्री चेतन कश्यप ने किया भोपाल प्रेस क्लब के कैलेंडर का विमोचन



भोपाल। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने सोमवार को भोपाल प्रेस क्लब के टेबल कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय बोक्लि, सतीश सक्सेना, संजय सक्सेना, हाकम सिंह गुर्जर, देवकीनंदन पाण्डेय, दीनानाथ पटेल मौजूद रहे।

म्युनिसिपल बॉन्ड- केंद्र की नीति पर महापौर का दावा जिस म्युनिसिपल बॉन्ड को मेयर इंदौर की देन बता रहे हैं, वह 2017 में आ चुका

इंदौर (नप्र)।

भागीरथपुरा जल कांड से उठे सवालों के बीच महापौर ने जमीनी सच्चाई से ध्यान हटाने के लिए एक और बड़ा दावा उछाल दिया। इस बार निशाने पर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में लॉन्च की गई म्युनिसिपल बॉन्ड योजना, जिसका श्रेय महापौर ने इंदौर नगर निगम को दे डाला।

महापौर ने एक दिन पहले मीडिया के सामने दावा किया कि केंद्रीय बजट में नगरीय निकायों के लिए घोषित बॉन्ड प्रावधान इंदौर निगम द्वारा जल्द सोलर प्लांट के लिए लागूएग ग्रीन बॉन्ड से प्रेरित है। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार भी जताया।



महापौर का दावा पूरी तरह बोगस- म्युनिसिपल बॉन्ड की मूल योजना केंद्र सरकार ने 2017 में ही लॉन्च कर दी थी। उस वक्त अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए तय की गई थी। जबकि ताजा बजट में कोई नई योजना नहीं लाई गई, बल्कि सिर्फ बड़े नगर निगमों के लिए सीमा बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की गई है।

एसजीआरसी से संतुष्ट नहीं तो लोकपाल के पास अपील

अगर छात्र एसजीआरसी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 15 दिन के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकता है। लोकपाल 30 दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा करने का प्रयास करेगा। खास बात यह है कि लोकपाल के आदेश सिर्फ सुझाव नहीं होंगे, बल्कि उनका पालन करना कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा।

किन मामलों में छात्र कर सकता है शिकायत

- प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी
- तय फीस से ज्यादा राशि मांगना
- फीस रिफंड में देरी
- स्कॉलरशिप या आर्थिक सहायता न मिलना
- परीक्षा या रीजल्ट में अनावश्यक देरी
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन
- एससी,एसटी,ओबीसी महिला या दिव्यांग छात्रों से भेदभाव
- शिक्षा की गुणवत्ता या सुविधाओं में कमी
- छात्र उपवीडन या मार्गसिक प्रताड़ना

ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाना होगा

हर संस्थान को एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाना होगा, जहां छात्र अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा। शिकायत मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उसे SGRC को भेजना होगा और सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।



महापौर का यह दावा भी गलत है कि इंदौर निगम ने जल्द सोलर प्लांट के लिए पहली बार बॉन्ड जारी कर इतिहास रचा। इससे पहले 2018 में इंदौर निगम ने अमृत योजना के लिए 140 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। इतना ही नहीं इस पर केंद्र सरकार ने 18.2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। महापौर 2023 में जल्द सोलर प्लांट के लिए 244 करोड़ का बॉन्ड लाया गया। इस पर केंद्र ने 20 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया था।

स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी- वित्तीय जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी म्युनिसिपल बॉन्ड संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है। ऐसे में यह दावा कि केंद्र ने इंदौर के प्रयोग को देखकर नीति बनाई, यह भी गलत ही है। **2017 से देश के दर्जनों नगर निगम जारी कर चुके बॉन्ड-** 2017 के बाद देश के दर्जनों नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुके हैं। 2019 में ही केंद्र सरकार ने विभिन्न निगमों को 181.33 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बांटा था। इंदौर के अलावा भोपाल नगर निगम भी 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड ला चुका है।

इंदौर भी बॉन्ड पहली बार नहीं लाया- महापौर का यह दावा भी गलत है कि इंदौर निगम ने जल्द सोलर प्लांट के लिए पहली बार बॉन्ड जारी कर इतिहास रचा। इससे पहले 2018 में इंदौर निगम ने अमृत योजना के लिए 140 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। इतना ही नहीं इस पर केंद्र सरकार ने 18.2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। महापौर 2023 में जल्द सोलर प्लांट के लिए 244 करोड़ का बॉन्ड लाया गया। इस पर केंद्र ने 20 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया था।

स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी- वित्तीय जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी म्युनिसिपल बॉन्ड संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है। ऐसे में यह दावा कि केंद्र ने इंदौर के प्रयोग को देखकर नीति बनाई, यह भी गलत ही है। **2017 से देश के दर्जनों नगर निगम जारी कर चुके बॉन्ड-** 2017 के बाद देश के दर्जनों नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुके हैं। 2019 में ही केंद्र सरकार ने विभिन्न निगमों को 181.33 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बांटा था। इंदौर के अलावा भोपाल नगर निगम भी 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड ला चुका है।

कॉन्ट्रेक्टर ने मानसिक दिव्यांग बेटे के लिए खरीदी दुल्हन ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड निवासी महेंद्र पाराशर कॉन्ट्रेक्टर हैं। उनके बेटे अस्मिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। बेटे अस्मिता की शादी के लिए उन्होंने कई परिचित से कह रखा था। बेटे के शादी के लिए उनके परिचित राकेश शर्मा ने जौरा निवासी बंटी धाकड़ से मुरैना के पचोखरा में मुलाकात कराई थी।

इस दौरान बंटी ने कहा कि उसका एक रिश्तेदार है। वह दो लाख रुपए में शादी की डील करा देगा। सारी बात हुई और दो लाख रुपए देकर शादी की बात तय हो गई। 21 जनवरी को बंटी धाकड़ ने हजीरा स्थित गार्डन में दो लाख रुपए ले लिए। रुपए लेने के बाद बंटी धाकड़ 22 जनवरी को दुल्हन पूनम गौड़ निवासी हजीरा को शादी कराने के लिए लेकर आया था। इससे पहले इंदरराज में शादी की नोटरी भी कराई गई।



कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।



भारतीय कृषि आज एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उत्पादकता बढ़ाने के दबाव और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो गया है। 1968 के पुराने ‘कीटनाशक अधिनियम’ को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित ‘कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025’ (पीएमबी 2025) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हालाँकि, यह विधेयक केवल रसायनों के नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की खेती, बीजों की तकनीक और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला है। विशेष रूप से जीएम बीजों का कीटनाशक के रूप में वर्गीकरण और कॉर्पोरेट जवाबदेही जैसे मुद्दे इस बहस के केंद्र में हैं।

विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा वाली बात इसकी व्यापक परिभाषा है। दस्तावेज़ों के अनुसार, ‘टॉक्सिन-संबंधित जीन संशोधन’ को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर बीटी (Bt) कपास या बीटी बैंगन जैसी फसलों पर पड़ेगा।

1. **कीटनाशक के रूप में वर्गीकरण**– वर्तमान में, जीएम बीजों को मुख्य रूप से ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम’ और बीज नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। लेकिन PMB 2025 के तहत, यदि कोई बीज स्वयं कीटों से लड़ने वाला ‘जहर’ पैदा करता है, तो उसे एक ‘कीटनाशक उपकरण’ या स्वयं कीटनाशक के रूप में माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बीज कंपनियों को अब न केवल बीज मानकों का पालन करना होगा, बल्कि कीटनाशक पंजीकरण समिति से भी कड़े सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने होंगे।

2. **जवाबदेही और नियामक जांच**– यदि किसी जीएम फसल के कीटनाशकीय गुणों के कारण मिट्टी के मित्र

आधुनिक कृषि की चुनौतियां, किसान हित और जीएम बीजों का भविष्य

अक्सर देखा गया है कि कीटों के प्रकोप के समय बाजार में कीटनाशकों की कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है और उन्हें मनमाने दामों पर बेचा जाता है। विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं की तरह कीटनाशकों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। इससे किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में मदद मिलेगी। मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम कीमत के नाम पर किसानों को नकली या मिलावटी कीटनाशक न दिए जाएं। इसके लिए ‘ट्रेसबिलिटी’ यानी कारखाने से खेत तक की निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए।

कीटों (जैसे केंचुए या मधुमक्खियां) को नुकसान पहुंचता है या मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डेता है, तो कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। यह ‘कॉर्पोरेट लायबिलिटी’ के सिद्धांत को मजबूत करता है, जहाँ अब कंपनियां केवल यह कहकर नहीं बच सकती कि उन्होंने केवल बीज बेचा है।

भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत का एक बड़ा हिस्सा कीटनाशकों और उर्वरकों पर खर्च होता है। विधेयक में ‘मूल्य नियंत्रण’ को शामिल करने की मांग किसानों के अस्तित्व से जुड़ी है।

मूल्य निर्धारण की आवश्यकता– अक्सर देखा गया है कि कीटों के प्रकोप के समय बाजार में कीटनाशकों की कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है और उन्हें मनमाने दामों पर बेचा जाता है। विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं की तरह कीटनाशकों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। इससे किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में मदद मिलेगी।

गुणवत्ता का आश्वासन– मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम कीमत के नाम पर किसानों को नकली या मिलावटी कीटनाशक न दिए जाएं। इसके लिए ‘ट्रेसबिलिटी’ यानी कारखाने से खेत तक की निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए।

कीटनाशक जहर राहत कोष– मानवीय संवेदना और न्याय

खेती के दौरान कीटनाशकों के संपर्क में आने से हर साल हजारों किसान और मजदूर बीमार होते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। प्रस्तावित धारा 44a के तहत एक



‘कीटनाशक जहर राहत कोष’ बनाने का सुझाव दिया गया है।

अनिवार्य मुआवजा– इस कोष का निर्माण कीटनाशक कंपनियों के योगदान से किया जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कीटनाशक के कारण सामूहिक बीमारी या आकस्मिक मृत्यु होती है, तो इस कोष से पीड़ितों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए।

बिना दोष के उत्तरदायित्व– राहत पाने के लिए किसान को यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कंपनी ने जानबूझकर गलती की है। यदि उत्पाद के

उपयोग से नुकसान हुआ है, तो कंपनी को मुआवजा देना ही होगा।

विधेयक में सबसे बड़ी कमी पारदर्शिता की मानी गई है। वर्तमान में, कीटनाशकों के पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कमरों में होती है, जहाँ केवल सरकारी अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं।

सार्वजनिक परामर्श– प्रस्तावित सुधारों में यह मांग की गई है कि किसी भी नए कीटनाशक को मंजूरी देने से पहले उसके विषय विज्ञान देता तो सार्वजनिक किया जाए और किसानों, वैज्ञानिकों व नागरिक समाज से

आपत्तियां मांगी जाएं।

सूचना का अधिकार– किसान को यह जानने का पूरा हक है कि वह जो रसायन अपने खेत में डाल रहा है, उसका मिट्टी और आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा। पंजीकरण समिति को अपने हर निर्णय का लिखित कारण और वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक पोर्टल पर साझा करना चाहिए।

विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य ‘पर्यावरण-मित्र’ कृषि को बढ़ावा देना होना चाहिए। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि-

जैव-कीटनाशकों को प्रोत्साहन– नीम, गौमूत्र और अन्य जैविक अर्क पर आधारित कीटनाशकों को पंजीकरण में छूट और सब्सिडी मिलनी चाहिए।

राज्यों को अधिकार– चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर किसी विशेष खतरनाक कीटनाशक को प्रतिबंधित कर सकें।

अंततः कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 भारत की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच एक संतुलन बन सकता है। जीएम बीजों की सख्त निगरानी, कीटनाशकों के मूल्यों पर लगाम, और पीड़ितों के लिए तत्काल राहत कोष जैसे प्रावधान इस कानून को वास्तव में ‘किसान-हितैषी’ बनाएंगे। संसद को चाहिए कि वह प्रस्तावित 54 संशोधनों पर गंभीरता से विचार करे ताकि यह विधेयक केवल कागज़ों पर न रहे, बल्कि खेतों में हरियाली और किसान के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित करे। यदि हम आज एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा तैयार नहीं करते, तो भविष्य की पीढ़ियों को जहरीली मिट्टी और असुरक्षित भोजन विरासत में मिलेगा।

लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था का पर्याय है बजट

बजट 2026

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।



2026-27 का केंद्रीय बजट मुनीम साहब की खाता-बही है। जिसमें ना कोई दिशा है-ना कोई जनहितकारी बड़े उपाय हैं-ना कोई उम्मीद है। बस केवल आवक-जावक दर्ज है। कहने को सबका साथ और सबका विकास है। परंतु, वास्तव में कॉर्पोरेट का साथ और बाकी किसान विनाश है।

देश की कुल आय में कॉर्पोरेट की टैक्स हिस्सेदारी कम है और आमजन की टैक्स हिस्सेदारी ज्यादा है। जबकि, होना यह चाहिए था कि कॉर्पोरेट का टैक्स बढ़ाकर आमजन को राहत दी जाती। कुल मिलाकर यह बजट यथास्थिति का बजट है। डेटा कंपनियों को आगामी 22 वर्ष के लिए टैक्स होलीवूड यानि टैक्स की छूट दे दी गई है। देश को उम्मीद थी कि सरकार आयुष्मान की व्यावहारिक कर्मियों को देखकर या तो उसे संशोधित करती या फिर चिकित्सा का मूल अधिकार बनाकर आमजन को आवश्यक और पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराती। उच्च शिक्षा के नाम पर सरकार ने विदेश में यात्रा, पढ़ाई और पैसे भेजने पर जो 10 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत टैक्स था और 10 लाख से ऊपर 20 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे घटकर 2 प्रतिशत कर दिया है। निःसंदेह इससे विदेश में जाकर पढ़ने वालों को सुविधा होगी। परंतु, भारत की शिक्षा के लिए चाहे वह स्कूली शिक्षा

हो या उच्च शिक्षा, कोई प्रावधान नहीं है और उन्हें खुले बाजार पर छोड़ दिया गया है। सरकारी स्कूल जो शिक्षकों के अभाव में बंद हो रहे हैं, उसके लिए भी, कोई उपाय नहीं किए हैं तथा शिक्षा के बजट का बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों तथा यूनिवर्सिटी टाउनशिप आदि पर खर्च होगा। कालेधन संचय करने वालों के प्रति सरकार मेहरबान है और विदेशों में अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए तक की संपत्ति की जानकारी नहीं देता तो उसे पहले जो जेल में जाने का प्रावधान था, वह, अब नहीं होगा। यह काले धन के मालिकों के लिए काला-धन छुपाने की खुली छूट होगी। सरकार ने देश को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने का निर्णय किया है। परंतु, इसके लिए देश के 500 शहरों में से 50 शहर चिन्हित किए हैं यानि गांव, कस्बा और छोटे शहरों को छोड़कर केवल महानगरों का ही विकास होगा। रोजगार के नाम पर भी केवल दिखावटी और प्रचारात्मक निर्णय किया गया है। वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। अब ये 20 लाख पेशेवर कौन लोग होंगे और क्या ये पेशेवर रोजगार का विकल्प होंगे? 1.5 (डेढ़) लाख केयर-गिवर्स के नाम के पदधारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केयर-गिवर्स का वास्तविक अर्थ होगा मेल-नर्स और जो उच्च तबके के संपन्न, लाखों की पेंशन पाने वाले, उच्च घरों में उनकी व्यक्तिगत देखभाल करेंगे और घरेलू कर्मचारियों के समान वेतन पाएंगे। इसमें सरकार की क्या भूमिका है? शोध का विषय है! ऐसा लगता है कि ट्रंप के टैरिफ़वार और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से घायल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जो ना खड़ी हो सकती है और ना ही चल सकती है। यह सरकार का लकवाग्रस्त बजट है।

आधुनिकता

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।



अलसुबह अलसाये हुए जागने पर चाय कॉफी की तलब लगना आज के भाग-दौड़ वाले जीवन की अनिवार्य जरूरत बन गई है। ऐसे में यदि घर के किचन में चाय की पत्ती, कॉफी या अदरक खत्म हो जाये तो फौरन ब्लिंकट किया जाता है। थोड़ी देर में ही डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देकर ये चीजें उपलब्ध करा देता है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला इतना भी कष्ट क्यों उठाया जाये तो ‘चाय कमी’ से जोमेटो के जरिये गर्मागर्म चाय भी कुछ ही समय में करीने से सजकर आ सकती है। ऐसी ही अन्य सेवायें आजकल उपलब्ध है। हालांकि हाल ही में दस मिनट में डिलीवरी का सिस्टम खत्म होने की बात सामने आई थी लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा हम नहीं जानते।

सो, यह सब आज की जनरेशन खास तौर पर विद्यार्थियों, जेन- जी, कामकाजी और नव दम्पति के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास इन उलझनों के लिए ना तो वक्त रहता है और ना ही खुद बनाकर खाने की इच्छा। उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि घर में क्या चीजें हैं क्या नहीं। लेकिन यह भी सच है कि क्रिक कामर्स प्लेटफार्म और ऑनलाइन सेवायें हमें कहीं आरामतलबी तथा व्यर्थ के आलस्य की ओर तो नहीं ले जा रही?

बीते दिनों देश के आम बजट से पूर्व आये आर्थिक सर्वे में जंक फूड (चीनी, वसा, नमक आदि की अधिकता वाले) की बढ़ती खपत पर चिंता जाहिर की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के एड पर

आरामतलबी बढ़ रही घर पहुंच सेवाएं

सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। इसी प्रकार छोटे बच्चों, शिशुओं के लिए प्रयुक्त दूध और और अन्य पेय पदार्थों के प्रचार-प्रसार पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई है। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर भी फ़िक्रमंद होने को कहा गया है। अब इन पर अमल कब कितना होता है यह आने वाला वक्त ही बतायेगा।

हालिया सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंक फूड और डिजिटल एडिक्शन को खासकर युवा आबादी के लिये जोरिखम उत्पन्न होने का खतरा बताया गया है। कहा गया है कि जंक फूड के बढ़ते मार्केट और खपत मोटापे को बढ़ा रही है जो स्वास्थ्य के लिये मुफीद नहीं है।

इस बीच पिछले दिनों खबर आई कि अब दस मिनट में डिलीवरी का सिस्टम या बाथ्यता समाप्त होने जा रही है। अच्छा ही हुआ कि सड़कों, सड़के रास्तों पर बाइक से कूदते फांदते, कभी सर्कस जैसे स्टंट या कारतब दिखाते डिलीवरी बॉय शायद अब ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके चलते सुगम ट्राफ़िक के संचालन में कितनी मदद मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता। हालांकि सड़कों पर बेतरतीब ट्राफ़िक तथा तेज गति से वाहन चलाने हेतु सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं बल्कि शीघ्र पहुंचने की मंशा और नियमों की अनदेखी ट्राफ़िक को अस्त व्यस्त कर देती है।

उधर हाल ही में ब्लिंकट जैसी क्रिक कामर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी की अनिवार्यता हटाने पर सहमति जताई है। यानी आर्डर करने के 10 मिनट में डिलीवरी बॉय की प्रतीक्षा अब बेमानी हो जाना चाहिये। इसे लेकर ब्लिंकट, जेजेटो, जोमेटो और स्विगी समेत प्रमुख प्लेटफार्म के साथ संपन्न बैठकों में इस स्थिति से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई थी।

बीते माह तकरीबन 22 शहरों में गिंग वर्क्स ने हड़ताल की थी। उनकी यूनियन का कहना था कि

कंपनियां 10 मिनट की डिलीवरी के नाम पर कथित शोषण कर रही है। औसतन बाहर- चौदह घंटे काम करने पर भी कई वर्क्स 25 हजार रुपए से भी कम पाते हैं। इसके चलते वे ओवर टाइम तथा सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे।

आजकल चाइनीज, जंक, प्रोसेस्ड फूड आदि का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। सो, इसमें पास्ता, मेगी, बर्गर, नूट्रिक्स, मोमॉस, वेज बिरयानी जैसे अन्य फूड की घर पहुंच सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। यहीं नहीं साऊथ इंडियन डिशेज और खाने के टिपिन की भी होम डिलेवरी सुलभ है। बस आप इच्छ तो व्यक्त कीजिये, हाज़िर है।

इनके अतिरिक्त ग्रांसीरी, रेडीमेड कपड़े, सलवार कुर्तियां, किड्स के साथ बड़े के शर्ट, टीशर्ट, जीन्स, लोअर, बरमुड़ा, गर्म कपड़े और कुछ तो भी डिजाइन के कपड़े सहज ही ऑनलाइन उपलब्ध है। घर बैठे आर्डर कीजिये बस, यह व्यवसाय धड़ले से चल रहा है। इससे भी एक कदम आगे आकर कुछ कंपनियां पसंद नहीं आने पर या गलत साइज पर वापसी (लौटाफेरी) की गारंटी भी दे रही है। एक बार नहीं अनेक मर्तबा लौटाफेरी की जा सकती है। इस धंधे में प्लिप्त कार्ड, अमेजन, मित्रा जैसी नामी कंपनियां शामिल है। अब इस बात का सर्वे करने की जरूरत है कि घर पहुंच सेवाओं का इन वस्तुओं के परंपरागत विक्रेताओं के व्यवसाय पर कितना और कैसा असर पड़ रहा है। ग्रांसीरी सामान की लिस्ट ऑनलाइन भेज दीजिये, सामान घर पहुंच जायेगा। जहाँ तक परंपरागत शॉप्स, शोरूम, बड़े प्रतिष्ठान का मामला है वे तो खरीदी गई वस्तुओं की लौटाफेरी करते नहीं बल्कि तख्ती पर अंकित होजाता है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। सो, बाजार का स्वरूप भी बदल रहा है इसमें आप और हम कहीं एडजस्ट होते हैं इसकी फ़िक्र कीजियेगा।

अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।



हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समान अधिकारों और करुणा पर आधारित हो और एक मानव परिवार के रूप में शांति से रह सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का यह कथन भारतीय मनीषा के बोधवाक्य ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की अद्यतन व्याख्या ही है जिसमें एक शांतिपूर्ण, सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और तमाम भेद-भावों से मुक्त सुंदर दुनिया रचने की मॉर्मिक अपील समाहित है। सुंदर एवं समझ-बूझ भरी दुनिया बनाने का सपना केवल पारस्परिक बंधुत्व भाव से ही सम्भव है।समतमूलक ममतायुक्त दुनिया की निर्मिति प्रेम-स्नेह, सहयोग एवं भाईचारे की सामूहिक सामाजिक चेतना से ही सम्भव है। इसी भावना से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर, 2020 को एक प्रस्ताव पारित कर 4 फरवरी को सम्पूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों, नागरिक संगठनों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं को आमंत्रित किया, जिसका स्वागत विभिन्न देशों सहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक-आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा किया गया और 4 फरवरी, 2021 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मना कर मानवता के पक्ष में कार्य करने, दुनिया में कहीं भी किसी भी मनुष्य के प्रति रंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने, मानवोचित गरिमामय व्यवहार करने तथा सहिष्णु समाज बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया।

यह संसार अत्यंत विशाल है। यहां विभिन्न संस्कृतियों को मानने-जीने वाले समुदाय युगों-युगों से निवास कर रहे हैं। इनमें परस्पर खान-पान एवं पहनावा, बोल-चाल एवं व्यवहार तथा आस्था, विश्वास एवं मान्यताओं में अंतर देखने को मिलता है। एक समुदाय के लिए उनके रीति-रिवाज एवं परम्परा अनुसार जो उचित, नैतिक एवं अनुकूल है, सम्भव है वह पद्धति दूसरे समुदाय के विश्वासों की धुरी पर अनैतिक, अनुचित एवं प्रतिकूल हो।

सुखी एवं समृद्ध दुनिया का आधार है बंधुत्व भाव

सुंदर एवं समझ-बूझ भरी दुनिया बनाने का सपना केवल पारस्परिक बंधुत्व भाव से ही सम्भव है। समतामूलक ममतायुक्त दुनिया की निर्मिति प्रेम-स्नेह, सहयोग एवं भाईचारे की सामूहिक सामाजिक चेतना से ही सम्भव है। इसी भावना से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर, 2020 को एक प्रस्ताव पारित कर 4 फरवरी को सम्पूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों, नागरिक संगठनों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं को आमंत्रित किया, जिसका स्वागत विभिन्न देशों सहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक-आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा किया गया और 4 फरवरी, 2021 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मना कर मानवता के पक्ष में कार्य करने, दुनिया में कहीं भी किसी भी मनुष्य के प्रति रंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने, मानवोचित गरिमामय व्यवहार करने तथा सहिष्णु समाज बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया।

ऐसी स्थिति में टकराव स्वाभाविक है, पर बेहतर समझ होने पर टकराव एवं द्वंद से बचते हुए और अपनी परम्पराओं का पालन करते हुए साथ-साथ न केवल रहा जा सकता है बल्कि विकास के सामूहिक अवसर भी खोजे-बनाये जा सकते हैं। समुदायों के आस्था एवं विश्वास टकराव का हेतु न बनकर सामंजस्य एवं सौहार्द का सेतु बनें, यह बंधुत्व भाव के विकसित होने पर ही सम्भाव्य है। और इसके लिए आवश्यक है विवेकपूर्ण चिंतन-मनन और दूरदृष्टि, जो मानवता के फलक पर समभाव एवं सद्भाव के लिए सुंदर सुनहरे चित्र उकेर सके। सतत विकास और बौद्धिक प्रखरता के लिए मतभेद जरूरी है, किंतु हमारी असहमति किसी दूसरे पक्ष के जान-माल की हानि से संतुष्ट हो, यह बिलकुल निरर्थक, अव्यावहारिक एवं अस्वीकार्य है। असहमतियों से हमारे वैचारिक पृष्ठों पर उज्ज्वलता का आलोक बिखरना चाहिए, न कि दूसरे का अनिष्ट करने के कलुष धब्बे। एक व्यक्ति एवं परिवार के रूप में प्रत्येक समुदाय एवं हममें से सभी सुखी, शांतिमय एवं समृद्ध होना चाहते हैं और यह तभी साकार हो सकेगा जब हम

एक-दूसरे को सुखी-समुन्नत एवं प्रसन्न देखना चाहें। यह सहयोग, समन्य, सहकार के सम्बल से किया जा सकता है, यही संस्कृति है। किंतु टकराव के रास्ते चलकर परस्पर लड़ते-झगड़ते और दूसरे को दुखी करके,

परिवेश में विचरण करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यही भाव विकसित करने के लिए लोक जागरण करते हुए विभिन्न समुदायों एवं जन-जन को शांतिपूर्वक एक साथ रहने, एक-दूसरे के अधिकारों एवं

गरिमा की रक्षा करने एवं मानवीय व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

बंधुत्व भावना केवल अन्यान्य समुदायों के साथ ही नहीं अपितु प्रथमतः अपने परिवारी जन, पड़ोसी, सहकर्मियों एवं अपरिचितों के प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। यह हमें सर्व समावेशी, सख्य, सहिष्णु एवं लचीला बनाता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता की सहज स्वीकृति एवं अभिव्यक्ति के अनुकूल अवसर एवं

नीचा दिखा अपमानित कर हम कभी अपना हित नहीं साधक सकते, यही विकृति है, अमानवीयता है। निर्णय हमें करना होगा कि हम किस पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। निर्विवाद कहा जा सकता है, सभी मानवता के उद्यान में शीतल मलय बयार एवं सुगंधित सुमनों के सुरभि

जगह बनती है। यदि हम वैश्विक परिदृश्य देखें तो सर्वत्र हिंसा, अराजकता, आगजनी, युद्ध, विभीषिका के दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो मानवता के लिए अभिशाप है। मुझे यूनेस्को का एक कथन स्मरण हो रहा है, ‘चूंकि युद्ध मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा भी



संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर ने विधानसभा बजट सत्र के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने 16 फरवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक चलने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा के प्रश्न जैसे ही प्राप्त होते हैं तत्काल उसके उत्तर तैयार कर भेजने की व्यवस्था की जाये। विधानसभा के उत्तर समयावधि में सही एवं पूरक जानकारी सहित भेजने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा प्रभारी अधिकारी का होगा। जिला कार्यालय के राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर परीक्षण कर समयावधि में भेजने हेतु अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर न जाए। बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला कार्यालय एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाये तथा नोडल अधिकारी की इयूटी लगाई जाए, जो विधानसभा से संबंधित पत्राचार के लिए उत्तरदायी हो। इसके साथ ही विधानसभा बजट सत्र के दौरान सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

लक्ष्य प्राप्त होते ही प्राथमिकता से मेजा

जाएगा प्रकरण, हितग्राही को दी गई

योजना की पूरी जानकारी

विदिशा (निप्र)। जिला प्रशासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी क्रम में ग्राम फतेहपुर निवासी हितग्राही श्री ओमकार अहिरवार को संबंधित योजना के बारे में कार्यालय में बुलाकर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एससी/एसटी वर्ग से संबंधित प्रकरणों के लिए निर्धारित लक्ष्य (टारगेट) प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण आवेदन की स्वीकृति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी है। हालांकि, हितग्राही का प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रूप से संधारित कर लिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने आश्चस्त किया है कि जैसे ही आगामी समय में संबंधित श्रेणी के लिए लक्ष्य प्राप्त होगा, श्री ओमकार अहिरवार का आवेदन प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजी कार्यवाही पहले से पूर्ण कर ली जा रही है, ताकि लक्ष्य प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया सीहोर

जिला जेल का निरीक्षण



सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने सीहोर जिला जेल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जेल में विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सजायाफ्ता बंदियों के अभिलेखों का अवलोकन किया और इस संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बंदियों की सजा अवधि की भी समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि सजा पूर्ण होने के बाद कोई भी बंदी जेल में बंद न रहे। उन्होंने बंदियों की समस्याओं को सुना और यथोचित निराकरण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने जेल की पाकशाला, डिस्पेंसरी, महिला एवं अन्य बैरकों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, जेल अधीक्षक सुश्री प्रतिभा पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राशन वितरण में अनियमितताएं करने

और ईकैवाइसी कार्य नहीं करने वाली

उचित मूल्य दुकानों पर की गई कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण कम होने, प्रतीक्षारत परिवारों की ईकैवाइसी नहीं करने एवं नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलने पर खाद्य विभाग द्वारा आष्टा एवं बुधनी अनुभाग की अनेक उचित मूल्य दुकानों पर कार्रवाई की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारियों ने बताया कि आष्टा अनुभाग के सिद्धीकाज, कोटियानाला, सेमलीबारी, कांकरियाखेरी स्थित राशन दुकानों पर प्रकरण निर्मित कर 3000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार कोटियानाला एवं कन्नोदमिर्जा की राशन दुकान विक्रेताओं को जनवरी में वितरण प्रतिशत कम होने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। इसी क्रम में बुधनी अनुभाग की रतनपुर, कुसुमखेड़ा, नानभेंट, जोनतला, बकतरा, कोसमी एवं रेहटी के राशन दुकान विक्रेताओं के विरुद्ध वितरण कार्य में लापरवाही करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

सुल्तानपुर में 10 फरवरी को आयोजित

होगा जिला स्तरीय युवा संगम मेला

रायसेन (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2026 को नगर परिषद प्रांगण सुल्तानपुर में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक आयोजित किया गया है। इस युवा संगम मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शासन की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

बजट विशेष

‘रोगी से न करें भेदभाव, कुष्ठ रोग के बारे में हो जागरूक’

विश्व कुष्ठरोग दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न



राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ 27वां देहदान, स्व.

राजाराम पवार ने मानवता को किया अंतिम समर्पण

विदिशा (निप्र)। पीड़ित मानवता की सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए आज्ञामर कॉलोनी, गांधी नगर विदिशा निवासी स्व. श्री राजाराम पवार का देहदान राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। श्री विकास पचैरी फाउंडेशन द्वारा संचालित देहदान, नेत्रदान एवं रक्तदान जागरूकता मिशन के अंतर्गत रविवार को अटल ऑनर' देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेडिकल पार्थिव शरीर को देहदान प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस देहदान के साथ मेडिकल कॉलेज में फाउंडेशन के सहयोग से दान किए गए पार्थिव शरीरों की कुल संख्या 27 हो गई है।

स्व. राजाराम पवार एवं उनकी पत्नी श्रीमती शोभा पवार ने 16 जुलाई 2019 को फाउंडेशन के अभियान से प्रेरित होकर मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया था। उन्होंने विधिवत वसीयत में उल्लेख किया था कि मृत्यु के पश्चात उनका पार्थिव शरीर किसी भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए, ताकि उनका शरीर चिकित्सा

शिक्षा और मानव सेवा के कार्य आ सके। बीते दिनों उनके निधन के उपरांत परिजनों ने समाजसेवी विकास पचैरी के सहयोग से रविवार को उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। देहदान से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा स्व. पवार के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अर्पित किया गया तथा पुलिस बल ने 'गाई ऑफ ऑनर' देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में परिजनों, मेडिकल स्टाफ और अन्य उपस्थितजनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजसेवी विकास पचैरी ने बताया कि देहदान संकल्प प्रक्रिया पूर्णतः निरुशुल्क है। इच्छुक व्यक्ति आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शेरपुरा, विदिशा स्थित सेवा घर पहुंचकर संकल्प प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देहदान से चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलती है और यह मानवता के लिए सर्वोच्च सेवा का कार्य है।

सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारी कर्मचारियों को दिये निर्देश



हरदा (निप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ ने शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं, विशेष रूप से महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, तथा मुख्यमंत्री हेल्ललाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विस्तृत एवं बिंदुवार समीक्षा की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जोसेफ ने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर सौंपे गए लक्ष्यों के

गंदे की खेती से कृषक कलीराम को 2 लाख का हुआ मुनाफा

बैतूल (निप्र)। ग्राम सुरगांव निवासी प्रगतिशील कृषक श्री कलीराम बनकर के लिए खेती सिर्फ आजीविका नहीं, अब जिंदगी की सबसे मजबूत कमाई बन चुकी है। परंपरागत खेती से आगे बढ़कर उन्होंने गंदे की खेती को अपनाया और आज वही खेती उन्हें कम समय में बेहतर और स्थायी मुनाफा दिला रही है। कृषक कलीराम ने बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से लगातार गंदे की खेती कर रहे हैं। हर बार वे करीब 25 हजार रुपये की लागत से फसल तैयार करते हैं और मात्र तीन महीनों के भीतर लगभग 2 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी अर्जित कर लेते हैं। उनका कहना है कि गंदे की खेती ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और परिवार की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गंदे की खेती की उन्नत तकनीक में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का समय-समय पर मार्गदर्शन उन्हें मिलता है, इसके साथ ही विभाग से उन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई, जिस पर शासन से अनुदान का लाभ मिला और पानी की बचत के साथ लागत भी कम हुई। कलीराम बनकर ने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि वे परंपरागत फसलों तक सीमित न रहें और फलों की खेती जैसे लाभकारी विकल्प अपनाएं। उनका कहना है कि कम जमीन और कम लागत में भी किसान सम्मानजनक आमदनी कमा सकते हैं। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

सीहोर (निप्र)। हर साल 02 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमें उन प्राकृतिक जल क्षेत्रों की याद दिलाता है, जो जीवन, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह दिवस आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पृष्ठभूमि 02 फरवरी 1971 से जुड़ी है, जब ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हुआ। तभी से इस दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आर्द्रभूमियाँ वे क्षेत्र हैं, जहाँ पानी स्थायी या अस्थायी रूप से



मौजूद रहता है। इनमें झीलें, तालाब, नदियाँ, दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव वन और तटीय क्षेत्र शामिल हैं, ये क्षेत्र प्राकृतिक जल धंधार के रूप

में कार्य करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आर्द्रभूमियों का महत्व

आशा कार्यकर्ता ईमानदारी से निभाएं दायित्व, स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम कड़ी हैं : एसडीएम मनीष जैन

विदिशा (निप्र)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कुरवाई में रविवार को आशा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं मार्गदर्शन बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना तथा फील्ड स्तर पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना रहा। बैठक में एसडीएम मनीष जैन ने आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनका कार्य सीधे तौर पर मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने से जुड़ा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे ड्यू लिस्ट के अनुसार घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों की जानकारी अद्यतन रखें तथा संभावित गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान



सुनिश्चित करें। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह माँ और नवजात दोनों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉ. प्रमोद दीवान ने अपने संबोधन में आशा कार्यकर्ताओं को अपने दायित्वों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर्वे ड्यू लिस्ट के आधार पर

